

समूहीति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :

संस्था का पता / Society's Address :

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :

संपर्क संख्या / Contact Number :

जयराम पिंड धरमकल्ती लोक कल्याण एवं शिक्षा समिति

ग्राम-जैतापुर, पोस्ट-भन्देमऊ, तहसील-सिंकंदरा, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश 209310, Kanpur Dehat, 209310

समस्त उत्तर प्रदेश

7983272762

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(ये उद्देश्य

बहुउद्देशीय,

से सम्बन्धित हैं)

१-कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जहाँ आवश्यक हो प्लेग्रुप, जूनियर विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों (हाईस्कूल, इंटरमीडिएट) महाविद्यालयों की स्थापना करना, संस्था के अंतर्गत शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कला संवर्ग, विज्ञान संवर्ग, कृषि संवर्ग सहित बी.एड. कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, व इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज आदि की स्थापना करना, तथा तत्संबंधित पाठ्यक्रम के पठन पाठन स्नातक एवं प्राचान्नातक कक्षाओं का संचालन करने की समुचित व्यवस्था करना

२-संचालित प्लेग्रुप, जूनियर विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों (हाईस्कूल, इंटरमीडिएट) महाविद्यालयों, को विश्वविद्यालयों या संबंधित विभागों से संबद्धता दिलाने का प्रयास करना, इस हेतु स्थापित संस्था में सभी संसाधनों को जुटाना, भूमि क्रय कर महाविद्यालय का निर्माण करना

३-संस्था के उद्देश्यों के लिए छात्रावास, शिक्षकों के लिए कवाटर्स, भोजनालय एवं पुस्तकालय के भवनों को बनवाना एवं उचित रखरखाव करना

४-प्रोफेशनल कलासेज व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कोर्सों को संचालित करना, तथा उनसे संबंधित कक्षाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना

५-शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए कार्य करना उस हेतु कार्य क्षेत्र के अंतर्गत बालक बालिकाओं को बी.एड., लॉ, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, तथा पी.सी.एस., आई.ए.एस. तथा अन्य उच्च स्तरीय एवं प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयार करना तथा परीक्षा मौखिकी एवं व्यक्तित्व विकास हेतु समुचित तैयारी करना

६-विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले विषयों के पठन पाठन की व्यवस्था सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से कराना तथा परीक्षाओं में शामिल होने हेतु योग्य बनाना

७-उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा क्षेत्र विकास लक्ष्य की सार्थकता के लिए संस्था का प्रमुख सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास करना

८-शिक्षित बेरोजगार युवकों/युवतियों के लिए तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों को खोलना व चलाना एवं इस हेतु विभिन्न विभागों से योजनाओं व कार्यक्रमों को लेना व चलाना, इसके लिए शिल्प कला केंद्र की स्थापना करना संचालित करना, उसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों की व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था करना

९-समाज के शिक्षित स्तर को बढ़ने शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना तथा प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को पुनर्वासित एवं रोजगार में लगाना

१०-कैंट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं/विभागों से शहर व ग्रामीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना,

११-शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसके लिए प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय आवश्यकतानुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम से खोलना तथा उनका संचालन करना तथा सर्व प्रथम जैतापुर कानपुर देहात में प्राइमरी स्तर से जूनियर स्तर तक के विद्यालय की स्थापना करना उसका संचालन प्रबंध व्यवस्था व विकास करना

१२-संस्था का क्रमिक विकास करना तथा प्राइमरी स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं का संचालन करना

१३-पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना कर उसका संचालन करना

१४-समाज के सभी वर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों, निर्धन एवं हरिजनों व विमुक्ति जाति के बालक बालिकाओं एवं सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना

१५-महिला कल्याण केंद्र एवं प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था कर महिलाओं को आर्मनिर्भरता प्रदान करना

१६-शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कार्य क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज, बी.एड. कॉलेज, विधि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डेटल कॉलेज इत्यादि की स्थापना करना,

१७-संस्था के अंतर्गत शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कला संवर्ग, विज्ञान संवर्ग, कृषि संवर्ग, सहित बी.एड कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना एवं संचालन करना, शासन प्रशासन की अनुमति के उपरांत कार्य क्षेत्र के अंतर्गत स्टेडियम, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक आई.आई.आई. व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना

१८-प्रोफेशनल कलासेज, व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाली सभी कोर्सों को संचालित करना, तथा उनसे संबंधित संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना

१९-संस्था के कार्यक्षेत्र में जन उपयोगी कार्यों को करना, जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, शिल्प कला केंद्रों, अनौपचारिक शिक्षा प्रौद्योगिकी कॉलेज, नरी क्षेत्रों, शिशुपालन केंद्रों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना, शिक्षा के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं का सर्वोन्मुखी विकास करना

① आमित सह


④ Vilasdev Singh

सत्य-प्रतिलिपि

② उद्धीपनी सह

⑤ अचला देवी
⑥ विजया सह

वरिष्ठ सहायक
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्टस
कानपुर
10/10/2021



२०-कार्यक्षेत्र के असेवित ब्लॉकों में शासन प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार के घोषित कार्यक्रम के अनुसार कन्या इण्टर कॉलेज, व कन्या डिग्री कॉलेजों की स्थापना करना

२१-वाद विवाद प्रतियोगिताओं, लेखन प्रतियोगिताओं, खेलकूद प्रतियोगिताओं, गायन वादन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराकर, बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं को समाज के सन् खुलाने का प्रयास करना

२२-संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान अनुदान चंदा, एवं अन्य प्रकार का सहयोग एवं सहायताएं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एवं उनके विभागों, अनुभागों, वित्त एवं विकास निगमों व समाज उद्देश्यीय संस्थाओं से प्राप्त करने का प्रयास करना

२३-संस्था के लिए चल अचल संपत्ति भूमि भवन को प्राप्त करना पढ़े पर लेना, क्रय करना निर्माण आदि कराने का प्रयास करना

२४-गरीब निर्धन निराश्रित मेधावी बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की निःशुल्क तैयारी कराना तथा उन्हें इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने योग्य बनाना तथा उस संबंध में उनका समुचित मार्ग दर्शन करना

२५-विकलांग अन्ध विद्यालय, मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों के लिए पुनर्वास प्रशिक्षण एवं जीवन यापन हेतु व्यवस्था करने के लिए शासन प्रशासन से योजनाएं लेना व चलाना

२६-विकलांगों को समाज में संचित व सम्मान जनक स्थिति में लाने हेतु उन्हें स्वावलम्बी बनाना, उन्हें साक्षर व तकनीशियन बनाने हेतु विकलांग आवासीय विद्यालय/विकलांग छात्रावास आदि की व्यवस्था करके उनके शिक्षण प्रशिक्षण आवास भोजन रास्थाय आदि की समुचित व्यवस्था करना

२७-व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा देने की व्यवस्था करना

२८-अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सभी प्रकार की कार्य योजना के संचालन हेतु स्कूल, कॉलेज, व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना प्रबंधन एवं अनुरक्षण करना, समाज के सर्वोन्मुखी विकास के लिए कार्य करना, इस हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की सामाजिक शैक्षिक, रचनात्मक गतिविधियों को अपनाना व उनसे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना व करना

२९-निर्धन बच्चों को पुस्तकीय सहायता, छावनीति आदि देने की व्यवस्था करना ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल व स्वर्णिम बन सके

३०-राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सामाज उद्देश्यीय संस्थाओं से सहायता एवं सहयोग प्राप्त करके समाज के निर्बल वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करना,

३१-संस्था की उन्नति एवं विकास के लिए चल अचल संपत्ति भूमि भवन, आदि पढ़े पर लेना, तथा वित्तीय कोष की स्थापना करना

३२-महिला, बाल युवा, प्रौढ़ विकास कार्यक्रम, विज्ञान शिक्षा, एवं निःशुल्क प्रशिक्षण कला कौशल के विकास हेतु सिलाई, कठाई, बुनाई, गृहशिल्प, दस्तकारी, कंप्यूटर प्रशिक्षण, टाइप एवं शॉटर्हैंड प्रशिक्षण, रेडीमेड गारमेंट, फैशन डिजायनिंग, फल संरक्षण, दाल प्रशोधन सहित तमाम रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना


३३-समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कल्पार्ट, सिप्पा, नाबाई, इंस्पायर प्रोग्राम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार), यूनिसेफ इत्यादि के सहयोग से महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों, गामीन विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार करना एवं उनमें फेलोशिप प्राप्त करना


३४-उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, तथा उनके विभागों और अनुभागों से तथा वित्तीय संस्थाओं व संस्थाओं, दानदाताओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, स्थानीय निकायों, राज्य समाज कल्याण विभाग, केंद्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम, खादी ग्रामोदयोग बोर्ड/आयोग आदि से उनकी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लेना, व उनसे योजना व कार्यक्रम चलाने की अनुमति प्राप्त करते हुए दान, अनुदान चंदा, ऋण आदि प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय करना

३५-संस्था द्वारा अपने समस्त कार्यक्रमों, आयोजनों उद्देश्यों के प्रचार प्रसार माध्यमों त्रैसे लेख मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाओं, न्यूज़ पेपर, पम्पलेट्स, पोस्टर, समाचार पत्र, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से जन साधारण तक पहुँचाने का प्रयास करना जिससे कि क्षेत्रीय जनता लाभान्वित हो सके

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है /

Details of office bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	अमित सिंह	कुमार जवाहर सिंह	जैतापुर, मंगलपुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	अध्यक्ष	सेवानिवृत्त 9918158566			
2.	प्रदीप सिंह	कुमार श्री जवाहर सिंह	मकान सं. 59, ग्राम जैतापुर, रमाबाई नगर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	उपाध्यक्ष	नौकरी 9456250014			
3.	श्यामली सिंह	अमित कुमार सिंह	ग्राम जैतापुर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	प्रबन्धक/सचिव	समाजसेवा 7983272762			
4.	विपेन्द्र सिंह	जवाहर लाल	जैतापुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	कोषाध्यक्ष	सोचानिवृत्त 9984900997			
5.	अचला देवी	प्रदीप कुमार सिंह	मकान सं. 59, ग्राम जैतापुर, रमाबाई नगर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर सदस्य	नौकरी	9456444238			



① अमित सिंह
② प्रदीप सिंह
③ श्यामली सिंह

४ विपेन्द्र सिंह
५ अचला देवी
६ विजय कुमार सत्यप्रतिलिपि

विजय कुमार सत्यप्रतिलिपि
कानपुर १५ अक्टूबर २०२०



6. विजय सिंह जवाहर सिंह 31 जैतापुर, मंगलपुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310

सदस्य नौकरी 9634963495

7. राजेश कुमार रामचरण सिंह जैतापुर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310

सदस्य समाजसेवा 8957176649

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered General Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	अमित कुमार सिंह	जवाहर सिंह	जैतापुर, मंगलपुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	सेवानिवृत्त
2.	प्रदीप कुमार सिंह	श्री जवाहर सिंह	मकान सं. 59, ग्राम जैतापुर, रमाबाई नगर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	नौकरी
3.	श्यामलती सिंह	अमित कुमार सिंह	ग्राम जैतापुर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	समाजसेवा
4.	विषेन्द्र सिंह	जवाहर लाल	जैतापुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	सेवानिवृत्त
5.	अचला देवी	प्रदीप कुमार सिंह	मकान सं. 59, ग्राम जैतापुर, रमाबाई नगर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	नौकरी
6.	विजय सिंह	जवाहर सिंह	31 जैतापुर, मंगलपुर, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	नौकरी
7.	राजेश कुमार सिंह	रामचरण सिंह	जैतापुर, भन्देमऊ, कानपुर देहात उत्तर प्रदेश 209310	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

① अमित सिंह
② विजय सिंह
③ श्यामलती सिंह



सत्य-प्रतिलिपि

वारी सहायक
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्ठा

कानपुर

09/02/2021

नियमावली / Rules Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :

जयराम सिंह धरमकली सोसाइटी एवं शिक्षा समिति

संस्था का पता / Society's Address :

गाम-जैतापुर, पोस्ट-भन्देमऊ, तहसील-सिंकंदरा, जिला-कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश 209310, Kanpur Dehat, 209310

संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :

समस्त उत्तर प्रदेश

संपर्क संख्या / Contact Number :

7983272762

संस्था के सदस्यता एवं वर्ग / Organization's membership and class :

सदस्यता का प्रकार / Membership Type	शुल्क / Fee	सदस्य बनाने की प्रक्रिया / Procedure of making Members
आजीवन सदस्य / Life Time Member	100000	जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु निर्धारित शुल्क एक बार में या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे
सामान्य सदस्य / General Member	50000	जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं तथा संस्था के विकास हेतु निर्धारित वार्षिक सदस्यता शुल्क नियमानुसार निष्वार्थ भाव से देते हैं वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

सदस्यता की समाप्ति / Termination of Membership :

- मृत्यु हो जाने पर।
- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
- अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित करने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
- लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
- नैतक अपराधों में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

संस्था के अंग / Society's Parts :

- साधारण सभा / General Body
- प्रबंधकारिणी समिति/ Management Committee

साधारण सभा / General Body :

गठन / Formation :

साधारण सभा का गठन आजीवन सदस्य / Life Time Member, सामान्य सदस्य / General Member को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक / Meetings :

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाइ जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अर्जेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

साधारण सभा को सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी।

साधारण सभा को गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

साधारण सभा वा विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सभा की समाप्ति पर किया जायेगा, जिसकी तिथि समय, व स्थान प्रबंध समिति द्वारा तय कर लिया जायेगा।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Duties of 1- प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना 2- वार्षिक आय व्यय बजट पारित करना 3-नियमों व



① आमेत सिंह

② Vipendra Singh

③ शिल्पकृष्ण

सत्य-प्रतिलिपि

④ यहानपै

⑤ अचलांकुर

⑥ रघुवर लाली सिंह

⑦ Anil Singh

वरिं सहायक
कानपुर

09/02/2021

The General Body :

विनियमों में २/३ के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना ४-अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की सहमति से ही किसी भी प्रकार का अनुमोदन व निरस्तीकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में अमान्य माना जायेगा

प्रबन्धकारिणी समिति / Management Committee :

गठन / Formation :

साधारण सभा द्वारा निर्वाचित पदाधिकारियों / सदस्यों को भिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति जा गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, कोषाध्यक्ष-1, प्रबंधक/सचिव-1, सदस्य-3 होंगे इस प्रकार कुल संख्या भिलाकर 7 होगी।

सूचना अवधि / Notice period :

प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व सदस्यों को लिखित रूप से दी जाएगी।

बैठक / Meetings :

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना लिखित या किसी भी माध्यम से 1 से 24 घंटे पूर्व दी जायेगी। सूचना के हेतु अजेंडा जारी किया जायेगा, जिसमें बैठक बुलाने के कारण का उल्लेख होगा।

गणपूर्ति / Quorum :

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Managerial Body :

1-संस्था का प्रबंध कार्य नियमानुसार संचालित करना २- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना तथा उपसमितियों, नियमों व उपनियमों को बनाना और उनके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ५-उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों एवं सेमिनारों का आयोजन करना ६-संस्था के विकास के लिए कार्य करना ७-समिति के विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार की संस्था को खोलना व उनका संचालन व प्रबंध करना ८-किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए उपसमिति का गठन करना, उसके पदाधिकारियों व सदस्यों का मनोनयन करना ९-अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की सहमति से ही किसी भी प्रकार का अनुमोदन व निरस्तीकरण होगा, अन्यथा की स्थिति में अमान्य माना जायेगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति / Fill blank seats :

प्रबंधकारिणी समिति के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आक्रिमिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

कार्यकाल / Tenure :

प्रबंधकारिणी समिति के सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया/ Election Procedure of Management Committee by चुनाव द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबंधक / सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं 3 सदस्य होंगे इस प्रकार अधिकतम कुल 7 व्यक्तियों की ही प्रबंध कारिणी समिति होगी, प्रबंध समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित केन्द्रों के पदाधिकारी होंगे।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य / Rights and Responsibilities of office bearer of Managerial Body :

प्रबंधक/सचिव

- १-संस्था द्वारा संचालित केंद्रों एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर नियमानुसार सम्पादित करना व संचालित करना २- लिपिकों/प्रशिक्षकों/चपरासियों/ कर्मचारियों / अध्यापकों की नियुक्ति, निलंबन, पदोन्नति वैतन वितरण वैतन वृद्धि एवं पदचयन करना ३- समस्त बिल एवं बॉउचरों पर हस्ताक्षर करना ४- संस्था की घल अचल सम्पत्तियों एवं अधिकारियों पर नियंत्रण रखना ५- संस्था की ओर से आवेदन पत्रों, बंधक लिखें आदि को भरना उन पर हस्ताक्षर करना ६- संस्था की ओर से समस्त भुगतान पत्रों एवं बैंकामों आदि पर हस्ताक्षर करना ७- समस्त स्टाफ की चित्र पंजिकाएँ, उनमें कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्टि तैयार करना, कारण बताओ नोटिस जारी करना पृथक या निलंबित करना ८-संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही को संचालित करना ९- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दाना, अनुदान ऋण, चंदा आदि प्राप्त करना तथा उपलब्ध कराना १०- सभी प्रवार के बैठकों का संस्थानित करना तथा कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना ११- वार्षिक बजट साधारण सभा द्वारा पारित करना तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना १२-संस्था की ओर सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना १३- प्रबंध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना
२. १-सभी प्रकार की बैठक एवं सभाओं की अध्यक्षता करना २- प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना ३- बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन व परिवर्तन करना ४- प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित त्यागपत्रों को स्वीकार करना ५- समान मर्तों पर अपने एक निर्णायक मर्त का प्रयोग करना

अध्यक्ष

① अमित राज

② यहमान

③ रघुवंशी सिंह

④ V. Venkata Rao, अध्यक्ष, कानून संस्थानित

⑤ अपलोद्ध

⑥ विजय

सत्य-प्रतिलिपि

वरि० सहायक
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्टा
कानपुर
10/02/2021

उपाध्यक्ष

कोषाधरक्ष

सदस्य

3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को वरिष्ठताक्रम के अनुसार सम्पादित व संचालित करना तथा सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना
4. १- वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना २- आय व्यय संबंधित अभिलेखों को लिपिबद्ध करना ३- सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको रसीदें देना ४- प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना
5. संस्था की मीटिंगों में भाग लेना तथा पदाधिकारियों का सहयोग करना

संस्था का कोष / Society's Account Access Details:

पदाधिकारी/Post

1. अध्यक्ष
2. प्रबंधक/सचिव

आय के स्रोत / Source of Income

1. Government Donation
2. Membership Fee
3. Other Sources
4. Remittance

संस्था के नियमों एवं विनियोगों में संशोधन की प्रक्रिया / Society's Rules and Regulations Revision Process :

साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा / Changes or additions will be done with the majority vote of 2/3 of General body's members.

संस्था का कोष/ Society's Account Details:

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा शिङ्यूलड बैंक, पोस्ट ऑफिस, या प्राइवेट बैंक में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जाएगा, जिसका संचालन अध्यक्ष एवम प्रबंधक/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा।

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती से संचालन का उत्तरदायित्वा / Responsibility for court operations of the society by or against :

संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त प्रकार के वाद विवाद की अदालती कार्यवाही संचालन संस्था के प्रबंधक/ सचिव द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत योग्य अधिवक्ता द्वारा की जाएँगी तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जिला कानपुर देहात ही रहेगा।

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण(ऑडिट) / Budget Audit :

संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा / The Budget of the society will be audited by a qualified auditor.

संस्था के अभिलेख / Society's records :

1. सदस्यता रजिस्टर / Membership Register.
2. कार्यवाही रजिस्टर / Proceedings Register.
 - a) साधारण सभा / General Body.
 - b) कार्यकारी निकाय / Executive Body.
3. स्टॉक रजिस्टर / Stock Register.
4. लेजर बुक / Ledger Book.
5. कैश बुक / Cash Book.
6. सदस्यता शुल्क रसीद बुक / Membership fee receipt book.
7. दान रसीद बुक / Donate receipt book.



विघटन / Dissociation :

① अमित सिंह

④ Vilombar Singh

राजेश बुम्हल

② छम्पाली सिंह

⑤ अचलांगन

③ प्राज्ञलली सिंह

⑥ विजय बहू

सत्य-प्रतिलिपि

यशो राजेश
कानपुर सोसाइटी तथा चिट्स

कानपुर

10/10/2021

संस्था का विघटन तथा समाप्ति की कार्यवाही सोसाइटीज रेजिस्ट्रेशन एक्ट की धरा १३ व १४ के अंतर्गत की जाएगी / Society dissolution and termination will be according to Societies Registration Act, under Section 13 and 14.

दिनांक / Date :-

हस्ताक्षर / Signature :

(1) अमित राज (4) Nitin Chandra Singh (7) रामेश कुमार
(2) एवंतुली (5) अचल पाण्डे
(3) श्वामी लला शर्मा (6) Anup Singh



सत्य-प्रतिलिपि

वरिझ सहायक
कर्म सोसाइटीज तथा चिदस
कानपुर

8/02/2021